HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 395/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 449/2026

1. Amar Singh Son Of Ramkaran, Aged About 30 Years, Resident Of Dhani Pahalwangarh, Tan Bopiya, Police Station Patan, District Sikar.
2. Mahendra Son Of Shivram, Aged About 20 Years, Resident Of Dhani Pahalwangarh, Tan Bopiya, Police Station Patan, District Sikar.
3. Ramniwas Son Of Hukamchand Gurjar, Aged About 23 Years, Resident Of Jhida Ki Gram Khelna, Police Station Pragpura, District Jaipur.
4. Devraj Singh @ Dc @ Dharampal Son Of Matadeen Gurjar, Aged About 20 Years, Resident Of Dhani Pahalwangarh, Tan Bopiya, Police Station Patan, District Sikar.
5. Rajesh Son Of Matadeen Gurjar, Aged About 25 Years, Resident Of Dhani Pahalwangarh, Tan Bopiya, Police Station Patan, District Sikar.

----Appellants

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Vidhut Kumar Gupta
For Respondent(s) : Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/02/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **अमरसिंह, महेन्द्र, रामनिवास, देवराज सिंह एवं राजेश** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण

न्यायालय–**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–03, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**28/2021 राजस्थान राज्य** बनाम **अमरसिंह व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **06.02.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि दौराने विचारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर आजाद रहे हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा उनकी सजा एक माह के लिए स्थगित की गई है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह

इस न्यायालय में दिनांक **27.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. अमरसिंह पुत्र श्री रामकरण, 2. महेन्द्र पुत्र श्री शिवराम, 3. रामनिवास पुत्र श्री हुकमचंद, 4. देवराज सिंह उर्फ डीसी उर्फ धर्मपाल पुत्र श्री मातादीन गुर्जर एवं 5. राजेश पुत्र श्री मातादीन गुर्जर** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /38